न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2019

1 नूरी बानो आयु 80 वर्ष पत्नी स्व. ईनायत खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर, राजस्थान

अपीलांट

बनाम

1 मोबिन बानो आयु 48 वर्ष पत्नी स्व. असलम पुत्र स्व. ईनायत खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का, भींचरी।
3 तहसीलदार फतेहपुर।
4 उपपंजीयक फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर(सीकर) पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेनू मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 05/2018 उनवानी नूरी बानो बनाम मोबिन बानो वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकित 03.07.2019

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 24.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर(सीकर) द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विरूद्व आवेदन अंतर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 520, 396, 398, 399, 400, 403, 404, 533, 521 वाके ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थीया का आवेदन खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया के पति के देहान्त के समय प्रार्थीया के उक्त पुत्र असलम की आयु लगभग 01 वर्ष की थी, प्रार्थीया के द्वारा मजदूरी कर अपने उक्त पुत्र का पालन–पोषण किया एवं अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे इक्टठे कर असलम के नाम कृषि भूमियों के क्रय किया । उक्त भूमियों को क्रय करने उपरान्त से प्रार्थीया एवं असलम उक्त भूमियों को निरन्तर निर्बाध शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया के पुत्र असलम का असामयिक निधन दिनांक 20.07.2017 को हो गया। असलम के देहान्त के उपरान्त उसके एकमात्र उत्तराधिकारी एवं कायम मुकाम प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 हुये। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने कतई गलत एवं अवैध रूप से उक्त कृषि भूमियों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में असलम के नाम बनी हुई खातेदारी को जरिये नामान्तकरण संख्या 831 दिनांकित 02.01.2018 अकेले अपने नाम बना लिया। जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा इसी प्रकार उक्त भूमियों का खाता प्रार्थीया अपने नाम बनवाने की अधिकारणी है। उक्त खाता प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की अपेक्षा कतई गलत, अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है तथा उक्त भूमियों में प्रार्थीया अपने नाम 1/2 हिस्से का खाता उद्घोषित करवाने की अधिकारणी है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। पक्षकारों के हक हकुको का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियाँ रेस्पोडेन्ट के पति असलम की स्व अर्जित भूमियां है। विवादित भूमियाँ पैतृक भूमियाँ नहीं है। असलम की एकमात्र उत्तराधिकारी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत का नामांतकरण दर्ज हो चुका है। अपीलांट का विवादित भूमि में न तो हक अधिकार है, न ही कब्जा काश्त है। विवादित भूमियाँ कभी भी प्रार्थीया अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 212 के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियाँ रेस्पोडेन्ट के पति असलम की स्व अर्जित भूमियां है। विवादित भूमियाँ पैतृक भूमियाँ नहीं है। असलम की एकमात्र उत्तराधिकारी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत का नामांतकरण दर्ज हो चुका है। अपीलांट का विवादित भूमि में न तो हक अधिकार है, न ही कब्जा काश्त है। विवादित भूमियाँ कभी भी प्रार्थीया अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 212 के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दुवार विवेचन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर